मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVIII अंक 3 जून 2022

एमसीआईआर

आज़ादी का अमृत महोत्सव

खंड	विषयवस्तु	पृष्ठ
I.	मौद्रिक नीति	1
II.	विनियमन	2
III.	भुगतान और निपटान प्रणाली	3
IV.	वित्तीय स्थिरता विश्लेषण	3
V.	प्रवर्तन	4
VI.	वित्तीय बाजार	4
VII.	सरकार का बैंक	4
VIII.	विदेशी मुद्रा प्रबंधन	4
IX.	आरबीआई बुलेटिन	4
X.	मुद्रा प्रबंधन	4
XI.	जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा जून महीने के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मौद्रिक नीति

गवर्नर का नीतिगत वक्तव्य

गवर्नर ने 8 जून 2022 को अपने द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में यूरोप में युद्ध सहित विभिन्न मुद्दों पर जोर दिया। परिणामस्वरूप, खाद्य, ऊर्जा और कमोडिटी की कीमतें उच्च बनी हुई हैं और युद्ध ने मुद्रास्फीति के वैश्वीकरण को जन्म दिया है। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) को बाजार में बढ़ी हुई हलचल, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में मौद्रिक नीति में बदलाव और उनके स्पिलओवर से बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों और विचार-विमर्श पर टिप्पणी करते हुए, गवर्नर ने कहा कि एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से 4.90 प्रतिशत करने के लिए मतदान किया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 4.65 प्रतिशत; और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर और बैंक दर 5.15 प्रतिशत हो गई है।

नीति दर पर अपने निर्णयों के लिए एमपीसी के तर्क के बारे में बताते हुए गवर्नर ने कहा कि जारी युद्ध भी वैश्विक व्यापार और विकास के लिए एक बाधा बन रहा है। प्रणालीगत उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) द्वारा किए गए मौद्रिक नीति सामान्यीकरण की तेज गति से वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ रही है।

गवर्नर ने आगे कहा कि 31 मई 2022 को राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी अनंतिम अनुमानों के अनुसार, 2021-22 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि 8.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत पर बरकरार रखी गई है, जोकि पहली तिमाही में 16.2 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 4.1 प्रतिशत; और चौथी तिमाही में 4.0 प्रतिशत रखी गई है, जिसमें जोखिम व्यापक रूप से संतुलित हैं।

वर्ष 2022 में सामान्य मानसून और कच्चे तेल की औसत कीमत (भारतीय बास्केट) 105 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के अनुमान के साथ मुद्रास्फीति पक्ष पर, मुद्रास्फीति वर्ष 2022-23 में 6.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जोकि पहली तिमाही में 7.5 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 7.4 प्रतिशत; तीसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत; और चौथी तिमाही 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें जोखिम व्यापक रूप से संतुलित है। ध्यातव्य है कि मुद्रास्फीति अनुमानों में वृद्धि का लगभग 75 प्रतिशत खाद्य समूह से प्रेरित माना जा सकता है। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 के लिए 6.7 प्रतिशत का आधारभूत मुद्रास्फीति अनुमान में आज की गई मौद्रिक नीति कार्रवाइयों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है।

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थितियों पर बोलते हुए गवर्नर ने कहा कि अप्रैल और मई के एमपीसी संकल्पों में व्यक्त निभाव को उत्तरोत्तर वापस लेने पर जोर देने के अनुरूप, हाल की अवधि में प्रणालीगत चलनिधि में कमी आई है। अधिशेष चलनिधि, जैसा कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक अवशोषण में परिलक्षित होता है - अर्थात्, एसडीएफ और 14 दिवसीय और 28 दिवसीय परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) के तहत अवशोषण - 4 मई-31 मई के दौरान 5.5 लाख करोड़ रुपये था, जोकि 8 अप्रैल - 3 मई 2022 के दौरान ₹7.4 लाख करोड़ से कम था।

प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में कमजोर रिकवरी के बावजूद भारत के निर्यात ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 601.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसे आगे भारतीय रिज़र्व बैंक की निवल वायदा आस्तियों के बेहतर स्तर द्वारा पूरक किया गया है।

सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए कुछ नियामक उपाय, ई-अधिदेश आधारित आवर्ती भुगतानों के प्रसंस्करण के लिए ढांचे के तहत सीमा, यूपीआई प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड को जोड़ने की अनुमति, और भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) योजना में संशोधन घोषित किए गए।

अपनी समापन टिप्पणी में, गवर्नर ने कहा कि भारत की बहाली तेजी से आगे बढ़ रही है, जो हमें एक व्यवस्थित नीतिगत परिवर्तन के लिए जगह प्रदान कर रही है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया, यहाँ क्लिक करें।

मौद्रिक नीति समिति का संकल्प

वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 8 जून 2022 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि:

• चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.90 प्रतिशत कर दिया जाए।

परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 4.65 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.15 प्रतिशत हो गई है।

• एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति आगे चलकर संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए लक्ष्य के भीतर बनी रहे।

ये निर्णय, संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) विनियमन; (ii) वित्तीय बाजार; तथा (iii) भुगतान और निपटान प्रणाली से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है।

I. विनियमन और पर्यवेक्षण

1) सहकारी बैंकों द्वारा व्यक्तिगत आवास ऋण - सीमा में वृद्धि

आवास की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी), और ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी - राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों) द्वारा उनके ग्राहकों को दिये जाने वाले व्यक्तिगत आवास ऋण की राशि संबंधी विवेकपूर्ण सीमाएं निम्नानुसार बढ़ा दी गई है:

▪ टियर I/ टियर II शहरी सहकारी बैंकों की सीमा क्रमश: ₹30 लाख/₹70 लाख से ₹60 लाख/₹140 लाख तक संशोधित मानी जाएगी।

▪ आरसीबी के संबंध में, निर्धारित निवल मालियत ₹100 करोड़ से कम वाले आरसीबी के लिए सीमा ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दी जाएगी; और अन्य आरसीबी के लिए यह ₹30 लाख से बढ़ाकर ₹75 लाख तक की जाएगी।

2) ग्रामीण सहकारी बैंकों (आरसीबी) को वाणिज्यिक भूसंपदा – निवास योग्य आवास (सीआरई-आरएच) क्षेत्र को उधार देने की अनुमति देना

किफायती आवास की बढ़ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और आवास क्षेत्र को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में उनकी क्षमता को पहचानने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि एसटीसीबी और डीसीसीबी को उनकी कुल आस्तियों के 5 प्रतिशत की वर्तमान कुल आवास वित्त सीमा के भीतर, वाणिज्यिक भूसंपदा – निवास योग्य आवास (सीआरई-आरएच) को वित्त प्रदान करने की अनुमति दी जाए।

3) शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को द्वारस्थ बैंकिंग सेवा प्रदान करने की अनुमति देना

विनियमित संस्थाओं में विनियामक ढांचे में सामंजस्य प्राप्त करने और ग्राहकों को उनके दरवाजे पर बैंकिंग सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि शहरी सहकारी बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के समान अपने ग्राहकों को द्वारस्थ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जाए।

II. वित्तीय बाजार

4) गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित डेरिवेटिव (एनसीसीडी) के लिए मार्जिन आवश्यकताएँ

काउंटर पर (ओटीसी) डेरिवेटिव बाजार की आघात सहनीयता को मजबूत करने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने ओटीसी डेरिवेटिवों के लिए मार्जिन आवश्यकताओं से संबंधित वैश्विक प्रथाओं को कार्यान्वित करने के लिए एक चर्चा पत्र जारी किया था। ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन ने कुशल मार्जिन के लिए एक महत्वपूर्ण सक्षमकर्ता उपलब्ध करवाया है। इस पृष्ठभूमि में, एनसीसीडी के लिए विचरण मार्जिन (वीएम) के आदान-प्रदान संबंधी निदेश दिनांक 1 जून 2022 को जारी किए गए थे।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

5) आवर्ती भुगतानों के लिए कार्डों पर ई-अधिदेश - सीमा में वृद्धि

ग्राहक सुविधा को और बढ़ाने और ई-अधिदेश आधारित आवर्ती भुगतानों के प्रसंस्करण संबंधी ढांचे के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, प्रमाणीकरण का एक अतिरिक्त कारक (एएफए) के प्रति आवर्ती भुगतान सीमा को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹15,000 करने का प्रस्ताव है।

6) एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) में सुधार - रुपे क्रेडिट कार्डों को लिंक करना

यूपीआई वर्तमान में उपयोगकर्ताओं के डेबिट कार्ड के माध्यम से बचत / चालू खातों को जोड़कर लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है। अब क्रेडिट कार्डों को यूपीआई से जोड़ने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। शुरुआत में रुपे क्रेडिट कार्ड इस सुविधा के साथ सक्षम होंगे।

7) भुगतान अवसंरचना विकास निधि योजना की समीक्षा

भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना का संचालन रिज़र्व बैंक द्वारा जनवरी 2021 में किया गया था। इस योजना ने 90 लाख पॉइंट ऑफ़ सेल (पीओएस) टर्मिनलों और क्विक रिस्पांस कोड को तीन वर्षों में (2023 के अंत तक) नियोजित करने का लक्ष्य रखा था। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एमपीसी बैठक का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45जेडबी के तहत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की छतीसवीं बैठक 6 से 8 जून 2022 के दौरान आयोजित की गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडएल के अनुसार, रिज़र्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के चौदहवें दिन इस बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त प्रकाशित किया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियमन

आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग

विनियमित संस्थाएं (आरई) तीसरी पार्टियों पर बढ़ती निर्भरता के साथ अपने कारोबार, उत्पादों और सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और आईटी-सक्षम सेवाओं (आईटीईएस) का व्यापक रूप से लाभ उठा रही हैं। तीसरी पार्टियों द्वारा प्रदान की गई आईटी/

आईटीईएस पर इस तरह की निर्भरता से आरई के लिए विभिन्न जोखिम उत्पन्न होते हैं। रिज़र्व बैंक ने 23 जून 2022 को हितधारकों और आम जनता की टिप्पणियों के लिए विदेशी सेवा प्रदाताओं को आईटी सेवाओं की आउटसोर्सिंग पर मास्टर निदेश का मसौदा जारी किया। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

मास्टर निदेश - क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड

क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड - जारी करने और आचार निदेश, 2022 संबंधी मास्टर निदेश, जिसके माध्यम से रिज़र्व बैंक ने मास्टर निदेश के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए 1 जुलाई 2022 की समय-सीमा निर्धारित की थी, के संदर्भ में, 21 जून 2022 को रिज़र्व बैंक ने मास्टर निदेश के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए समय सीमा को 1 अक्तूबर 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

मानक आस्तियों के लिए प्रावधान

रिज़र्व बैंक ने, मानक आस्तियों के विभिन्न वर्गों के लिए एनबीएफसी-अपर लेयर (एनबीएफसी-यूएल) के रूप में वर्गीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा धारित विभेदक प्रावधानों पर दिशानिर्देशों के अंतर्गत, 6 जून 2022 को निर्णय लिया कि एनबीएफसी-यूएल के रूप में वर्गीकृत एनबीएफसी द्वारा 'मानक' आस्तियों के संबंध में बकाया निधिकृत राशि के लिए निर्धारित दरों पर प्रावधान रखे जाएंगे। किया। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

जीआईएफ़टी-आईएफ़एससी में कार्यरत भारतीय बैंक

रिज़र्व बैंक ने 7 जून 2022 को यह निर्णय लिया कि जीआईएफ़टी-आईएफ़एससी में कार्यरत भारतीय बैंकों की शाखाओं को इंडियन इन्टरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) के प्रोफेशनल क्लियरिंग सदस्य (पीसीएम) के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जाए। किया। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

सलाहकार समिति के सदस्य

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान वित्तीय सेवा प्रदाताओं के संचालन में प्रशासक को सलाह देने हेतु दिवाला और शोधन अक्षमता नियम, 2019 के नियम 5 (सी) के अंतर्गत एक सलाहकार समिति का गठन किया था। श्री आर. सुब्रमण्यकुमार के सलाहकार समिति से त्यागपत्र के परिणामस्वरूप, श्री वेंकट नागेश्वर चलसानी को तत्काल प्रभाव से सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

ई-मैनडेट का प्रसंस्करण

ई-मैनडेट ढांचे द्वारा पहले लेनदेन को संसाधित करते समय प्रमाणीकरण का एक अतिरिक्त कारक (एएफए) निर्धारित किया गया है। इसके बाद ₹ 5,000/- तक के लेन-देन के लिए, एएफए के निर्धारण को माफ कर दिया गया था। ई-मैनडेट ढांचे के कार्यान्वयन की समीक्षा पर, रिज़र्व बैंक ने 16 जून 2022 को उपर्युक्त एएफए सीमा को ₹5,000/- से बढ़ाकर ₹15,000/- प्रति लेनदेन करने का निर्णय लिया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

वास्तविक कार्ड डेटा के भंडारण पर प्रतिबंध

रिजर्व बैंक ने 'भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के विनियमन' और 'टोकनाइजेशन - कार्ड लेनदेन: कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं की अनुमति' पर 1 जनवरी 2022 से दिशानिर्देश जारी किए थे। इस समय सीमा को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया था।

रिज़र्व बैंक ने 24 जून 2022 को सीओएफ डेटा के भंडारण के लिए समय सीमा को तीन महीने, अर्थात् 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

पहले वैश्विक हैकथॉन का परिणाम

रिज़र्व बैंक ने अपने पहले वैश्विक हैकथॉन- "HARBINGER 2021 – परिवर्तन के लिए नवाचार" की शुरुआत की थी, जिसका विषय 'स्मार्टर डिजिटल भुगतान' था। प्रारंभिक जांच और प्रारंभिक मूल्यांकन के पहले चरण में 25 प्रस्तावों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। समाधान विकास के दूसरे चरण में, शॉर्टलिस्ट की गई टीमों ने बाहरी सलाहकारों के मार्गदर्शन में अपने समाधान को विकसित करने पर काम किया। अंतिम मूल्यांकन का तीसरा चरण 26-27 मई 2022 को बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, जिसमें 24 फाइनल टीमों ने बाह्य विशेषज्ञों की निर्णायक समिति के समक्ष समस्या विवरणों के लिए अपने समाधान प्रस्तुत किए, जिन्होंने विजेताओं और उपविजेता का मूल्यांकन और चयन किया। रिज़र्व बैंक ने 2 जून 2022 को हैकाथॉन के परिणाम घोषित किए। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

भुगतान विज़न 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक आवधिक भुगतान विज़न दस्तावेजों के माध्यम से भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली के सुनियोजित विकास के लिए कार्यनीतिक निदेश और कार्यान्वयन योजना प्रदान कर रहा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 17 जून 2022 को अपनी वेबसाइट पर "भुगतान विज़न 2025" प्रकाशित किया है। भुगतान विज़न 2025 का मुख्य विषय 'ई-पेमेंट्स फॉर एवरीवन, एवरीवेयर, एवरीटाइम' (4ई) है और इसका उद्देश्य प्रत्येक उपयोगकर्ता को सुरक्षित, सुदृढ़, तेज़, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई-भुगतान विकल्प प्रदान करना है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

कार्डों का टोकेनाइजेशन

हालांकि कार्ड डेटा संग्रहीत करने की प्रथा सुविधा प्रदान करती है, लेकिन कई संस्थाओं के पास कार्ड विवरण की उपलब्धता से कार्ड डेटा के चोरी/दुरुपयोग होने का खतरा बढ़ जाता है। रिज़र्व बैंक ने यह अधिदेश दिया कि 31 दिसंबर 2021 के बाद, कार्ड नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता के अलावा कोई अन्य संस्थाएँ कार्ड डेटा संग्रहीत नहीं कर सकती हैं।

कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (सीओएफटी) सेवाओं के लिए एक ढांचा जारी किया गया था। इस ढांचे के तहत, कार्डधारक कार्ड विवरण के बदले 'टोकन' (एक अद्वितीय वैकल्पिक कोड) बना सकते हैं।

रिज़र्व बैंक ने 24 जून 2022 को घोषणा की कि टोकन बनाने की 30 जून 2022 की समय-सीमा 30 सितंबर 2022 तक बढ़ा दी गई है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

IV. वित्तीय स्थिरता विश्लेषण

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2022

रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2022 को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) का 25वां अंक जारी किया, जो वित्तीय स्थिरता के जोखिमों और वित्तीय प्रणाली की आघात सहनीयता पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. प्रवर्तन

विभिन्न बैंकों पर मौद्रिक दंड: जून 2022

रिज़र्व बैंक ने जून 2022 के महीने के दौरान विभिन्न बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया। उक्त बैंकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	बैंक का नाम	बैंक का प्रकार	दंड की राशि	दंड की तारीख
1	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	वाणिज्यिक बैंक	₹27.50 लाख	1 जून 2022
2	बेसिन कैथोलिक को-ऑपरेटिव बैंक लि., वसई	सहकारी बैंक	₹49.00 लाख	2 जून 2022
3	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, मुरैना	सहकारी बैंक	₹50,000	2 जून 2022
4	अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., बदायूँ	सहकारी बैंक	₹2.00 लाख	7 जून 2022
5	जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, सीधी	सहकारी बैंक	₹0.75 लाख	16 जून 2022
6	प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भिलाई	सहकारी बैंक	₹2.00 लाख	16 जून 2022
7	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	वाणिज्यिक बैंक	₹57.50 लाख	24 जून 2022
8	तिरुचेंगोडे को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड	सहकारी बैंक	₹10.00 लाख	24 जून 2022

VI. वित्तीय बाजार

भारतीय रिज़र्व बैंक (विचरण मार्जिन) निदेश, 2022

बाजार सहभागियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, रिजर्व बैंक ने 1 जून 2022 को मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (विचरण मार्जिन) निदेश, 2022 जारी किया। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

VII. सरकार का बैंक

राजकीय स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) योजना 2022-23

रिज़र्व बैंक ने 16 जून 2022 को भारत सरकार की 15 जून 2022 की अधिसूचना के बारे में सूचित किया, जिसमें उपरोक्त अधिसूचना में निर्धारित बॉन्ड जारी करने के विस्तृत नियमों और शर्तों का उल्लेख करते हुए राजकीय स्वर्ण बॉन्ड योजना 2022-23 की शृंखला I और II की घोषणा की गई थी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VIII. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

फेमा, 1999 के तहत विवरणी को बंद करना

रिज़र्व बैंक ने 9 जून 2022 को जून 2022 को समाप्त तिमाही से 'अनिवासी संस्थाओं से प्राप्त की गई अथवा भुनाई गई गारंटी का विवरण' के संबंध में विवरणी को बंद करने का निर्णय लिया। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

IX. आरबीआई बुलेटिन

आरबीआई बुलेटिन– जून 2022

रिजर्व बैंक ने 16 जून 2022 को अपने मासिक बुलेटिन का जून 2022 अंक जारी किया। बुलेटिन में मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2022-23, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 8 जून 2022, दो भाषण, नौ आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

X. मुद्रा प्रबंधन

करेंसी और बैंक नोट

रिजर्व बैंक ने 6 जून 2022 को स्पष्ट किया कि रिज़र्व बैंक में महात्मा गांधी के चेहरे को अन्य लोगों के चेहरे से बदलकर मौजूदा करेंसी और बैंक नोटों को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

XI. जारी आंकड़े

मई 2022 माह में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्र सं	शीर्षक
1.	अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार अप्रैल: 2022
2.	पूर्वानुमान सर्वेक्षणों के परिणाम
3.	ईसीबी/एफसीसीबी/आरडीबी: अप्रैल 2022
4.	समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश : मई 2022
5.	भारत का बाह्य ऋण: मार्च 2022
6.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की उधार और जमा दर: जून 2022
7.	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया ऋण:- मार्च 2022
8.	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति: मार्च 2022
9.	अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण: 3 जून 2022
10.	भारत के भुगतान संतुलन -2021-22 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च)
11.	भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन के स्रोत: 2021-22
12.	निजी कॉर्पोरेट कारोबार क्षेत्र का कार्यनिष्पादन: 2021-22

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।